न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या 25 / 2014	रजू दिनांक 03.02.2014 उनवान	निर्णय दिनांक 15.01.2021

1 भूपसिंह
2 रामावतार
3 सरजीत पुत्रान साधू राम जाति अहीर निवासी मंढा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावाः— अर्न्तगत धारा 88 एवं 89 राज0 काश्त0 अधिनियम

....

—: पर्चा डिक्री :—

दिनांक :—15.01.2021

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रणवीर सिंह यादव व प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.01.2021 को रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं वाके ग्राम मंढा तहसील मुण्डावर के हाल खसरा नम्बर 343 रकबा 0.24 है0, 344 रकबा 0.13 है0, 345 रकबा 0.05 है0, 346 रकबा 0.06 है0 के 1/4 हिस्से पर से प्यारेलाल पुत्र झुंथर के नाम को हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के किसी खसरे, रकबे, हिस्से में वादीगण के कब्जेकाश्त में दखल, मजामत किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से न स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावे। यह खातेदारी वादीगण को प्रतिवादीगण के सम्पूर्ण प्रभारों, भारों, लियनों से पूर्णतः मुक्त रहेगी। **खर्चा पक्षकारान् अपना—अपना वहन करेगें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 10:47:48 IST
Reason: SelfAttested

यह आज तारीख 15.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

15.1.21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)